नम्बर व अधिकार जो हुक्म की तामील जारी हुए

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

मिसल सं0 146/2019 GCMS:-2019/00231 **दायर तारीख 15–10–2019**

1–सुमित कुमार सोमानी पुत्र श्री सत्यनारायण सोमानी जाति सोमानी साकिन वार्ड नं0 20 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––– वादी

बनाम

1–सुभाष पुत्र श्री महावीर जाति जाट साकिन 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ

2–शंकरदास पुत्र श्री हीरदास
3–पतरामदास पुत्र श्री हीरदास
4–राम गोपालदास पुत्र श्री तुलछीदास
5–सुखराम दास पुत्र श्री तुलछीदास
} अकवाम बैरागी साकिनान 10 एस डी ए जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

6–गिरदावरी पत्नी श्री खिंवसिह जाति जाट साकिन 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ

7–राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ भू–धारक

––– प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– राजाराम भादू , राजवीर भादू अभिभाषकगण वादी ।

2– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– **दिनांक :–** 07/10/2020

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया । प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण के नाम से वाके चक 7 एस डी के खाता सं0 43/41 में 3.036 हे0 , 10 एस डी ए के खाता सं0 13/14 में 4.820 हे0 , चक 12 एस डी के खाता सं0 18/32 में 3.975 हे0 , एवं चक 6 एस डी के खाता सं0 64/91 में 0.658 हे0 व खाता सं0 54/37 में 7.009 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रतिवादीगण एवं अन्य सहकास्तकारो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । प्रतिवादी व अन्य कास्तकारो के मध्य खाता विभाजन एवं घोषणा श्रीमान जी के अदालत हाजा में दिनांक 05–04–2013 मिसल सं0 143/2012 के द्वारा घोषणा करते हुये खाते अलग किये गये तथा खातो में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 19/13 के प0 नं0 414/400 मु0नं0 17 के किला नं0

–––2 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:05:15 IST
Reason: SelfAttested

2/0.190 हे0, 9/0.253 हे0 = 0.443 हे0 राजस्व रिकार्ड दर्ज है एवं प्रतिवादीगण के नाम चक 6 एस डी के खाता सं0 51/54 के पं0नं0 103/403 मु0नं0 36 के किला नं0 16/0.051 हे0 , 25/0.051 हे0 = 0.102 हे0 कमाण्ड एवं पं0 नं0 103/404 मु0नं0 46 के किला नं0 5/0.051 हे0 , 6/0.051 हे0, 15/0.051 हे0 , 16/0.050 हे0 = 0.203हे0 कुल तादादी 0.305 हे0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । वादी ने प्रतिवादी नं0 6 के नाम के हिस्सा की भूमि वाके चक 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 19/13 के प0 नं0 414/400 मु0नं0 17 के किला नं0 2/0.190 हे0, 9/0.253 हे0 = 0.443 हे0 खरीद की गई । जिसका इन्तकाल सं0 411 दिनांक 26-06-2018 को राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गया है । वादी खरीद शुदा रकबा पर शांतिपूर्ण तरीके से कास्त करता आ रहा है। प्रतिवादीगण के नाम वाके चक 7 एस डी के खाता सं0 43/41 में 3.036 हे0 , 10 एस डी ए के खाता सं0 13/14 में 4.820 हे0 , चक 12 एस डी के खाता सं0 18/32 में 3.975 हे0 , एवं चक 6 एस डी के खाता सं0 64/91 में 0.658 हे0 व खाता सं0 54/37 में 7.009 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का जरिये डिक्री द्वारा खाता विभाजन होने के पश्चात वाके चक 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 19/13 के प0 नं0 414/400 मु0नं0 17 के किला नं0 2/0.190 हे0, 9/0.253 हे0 = 0.443 हे0 तथा चक 6 एस डी के खाता सं0 51/54 के पं0नं0 103/403 मु0नं0 36 के किला नं0 16/0.051 हे0 , 25/0.051 हे0 = 0.102 हे0 कमाण्ड एवं पं0 नं0 103/404 मु0नं0 46 के किला नं0 5/0.051 हे0 , 6/0.051 हे0, 15/0.051 हे0 , 16/0.050 हे0 = 0.203हे0 कुल तादादी 0.305 हे0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज हुई । परन्तु प्रतिवादीगण के हिस्सा दोनो चको में डबल दर्ज होने के कारण रकबा से ज्यादा हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई । जिससे जमाबन्दी का मिलान नही हो पा रहा है । प्रतिवादीगण ने वाके चक 10 एस डी ए एवं 6 एस डी की भूमि का आपसी सहमति द्वारा घरेलू बंटवारा किया जाकर प्रतिवादी नं0 6 को 10 एस डी ए की भूमि घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई । जिसका बेचान प्रतिवादी नं0 6 ने वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दिया गया है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी नं0 6 का नाम वाके चक 6 एस डी एवं 10 एस डी ए में राजस्व रिकार्ड नाम दर्ज रह जाने के कारण कलमजन किया जाना आवश्यक है । प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति और रजामन्दी से घरेलू बंटवारा होने पर चक 10 एस डी ए के खाता सं0 19/13 में 0.443 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 6 के कब्जा कास्त में तथा वाके चक 6 एस डी के खाता सं0 51/54 में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 का कब्जा कास्त में चली आ रही हैं । और इसी के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज करवाने के हकदार है । इसलिए प्रतिवादी नं0 1 का नाम वाके चक 10 एस डी ए के खाता सं0 19/13 से कलमजन कर

--- 3 पर लगातार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:05:15 IST
Reason: SelfAttested

वाके चक 6 एस डी के खाता सं0 51/54 में जोड़ा जावे । राज्य सरकार के आदेशानुसार तहसील स्तर पर सेग्रीग्रेशन व DILRMP की कार्यवाही चलने के दौरान खातो का मिलान करते वक्त उक्त जैरवाद खाता अपवादित पाया गया । इसलिए वादी ने अपवादित खाते को दुरूस्त करते हुये कब्जा काश्त मुताबिक खातेदार कृषक घोषित करवाने का निवेदन किया है।

वाद—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । जिसमें प्रतिवादी नं0 6 को समन तामिल होने के पश्चात भी न्यायालय में हाजिर नही होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को सुचना अखवार साया द्वारा करवाई गई जिसके पश्चात भी प्रतिवादीगण न्यायालय में हाजिर नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । पक्षकार के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादी द्वारा शपथ—पत्र प्रस्तुत किये गये । जिस पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर जिरह NILL की गई ।

इसके पश्चात वादी के अभिभाषक एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के नाम से संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि राजस्व तहसील सूरतगढ के वाके चक 14 एस एल डी के खाता सं0 29/108 के पं0 नं0 77/382 मु0 नं0 18 में किला नं0 9 ता 12, प्रतिवादीगण के नाम से वाके चक 7 एस डी के खाता सं0 43/41 में 3.036 हे0 , 10 एस डी ए के खाता सं0 13/14 में 4.820 हे0 , चक 12 एस डी के खाता सं0 18/32 में 3.975 हे0 , एवं चक 6 एस डी के खाता सं0 64/91 में 0.658 हे0 व खाता सं0 54/37 में 7.009 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रतिवादीगण एवं अन्य सहकास्तकारो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । प्रतिवादी व अन्य कास्तकारो के मध्य खाता विभाजन एवं घोषणा श्रीमान जी के अदालत हाजा में दिनांक 05—04—2013 मिसल सं0 143/2012 के द्वारा घोषणा करते हुये खाते अलग किये गये तथा खातो में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 19/13 के प0 नं0 414/400 मु0नं0 17 के किला नं0 2/0.190 हे0, 9/0.253 हे0 = 0.443 हे0 राजस्व रिकार्ड दर्ज है एवं प्रतिवादीगण के नाम चक 6 एस डी के खाता सं0 51/54 के पं0नं0 103/403 मु0नं0 36 के किला नं0 16/0.051 हे0 , 25/0.051 हे0 = 0.102 हे0 कमाण्ड एवं पं0 नं0 103/404 मु0नं0 46 के किला नं0 5/0.051 हे0 , 6/0.051 हे0, 15/0.051 हे0 , 16/0.050 हे0 = 0.203हे0 कुल तादादी 0.305 हे0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड

——— 4 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राज0) सूरतगढ (श्री गंगानगर))

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:05:15 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज है । वादी ने प्रतिवादी नं0 6 के नाम के हिस्सा की भूमि वाके चक 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 19/13 के प0 नं0 414/400 मु0नं0 17 के किला नं0 2/0.190 है0, 9/0.253 है0 = 0.443 है0 खरीद की गई । जिसका इन्तकाल सं0 411 दिनांक 26–06–2018 को राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गया है । वादी खरीद शुदा रकबा पर शांतिपूर्ण तरीके से कास्त करता आ रहा है। प्रतिवादीगण के नाम वाके चक 7 एस डी के खाता सं0 43/41 में 3.036 है0, 10 एस डी ए के खाता सं0 13/14 में 4.820 है0, चक 12 एस डी के खाता सं0 18/32 में 3.975 है0, एवं चक 6 एस डी के खाता सं0 64/91 में 0.658 है0 व खाता सं0 54/37 में 7.009 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का जरिये डिक्री द्वारा खाता विभाजन होने के पश्चात वाके चक 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 19/13 के प0 नं0 414/400 मु0नं0 17 के किला नं0 2/0.190 है0, 9/0.253 है0 = 0.443 है0 तथा चक 6 एस डी के खाता सं0 51/54 के पं0नं0 103/403 मु0नं0 36 के किला नं0 16/0.051 है0, 25/0.051 है0 = 0.102 है0 कमाण्ड एवं पं0 नं0 103/404 मु0नं0 46 के किला नं0 5/0.051 है0, 6/0.051 है0, 15/0.051 है0, 16/0.050 है0 = 0.203है0 कुल तादादी 0.305 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज हुई । परन्तु प्रतिवादीगण के हिस्सा दोनो चको में डबल दर्ज होने के कारण रकबा से ज्यादा हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई । जिससे जमाबन्दी का मिलान नही हो पा रहा है । प्रतिवादीगण ने वाके चक 10 एस डी ए एवं 6 एस डी की भूमि का आपसी सहमति द्वारा घरेलू बंटवारा किया जाकर प्रतिवादी नं0 6 को 10 एस डी ए की भूमि घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई । जिसका बेचान प्रतिवादी नं0 6 ने वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दिया गया है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी नं0 6 का नाम वाके चक 6 एस डी एवं 10 एस डी ए में राजस्व रिकार्ड नाम दर्ज रह जाने के कारण कलमजन किया जाना आवश्यक है । प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति और रजामन्दी से घरेलू बंटवारा होने पर चक 10 एस डी ए के खाता सं0 19/13 में 0.443 है0 भूमि प्रतिवादी नं0 6 के कब्जा कास्त में तथा वाके चक 6 एस डी के खाता सं0 51/54 में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 का कब्जा कास्त में चली आ रही हैं । और इसी के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज करवाने के हकदार है । इसलिए प्रतिवादी नं0 1 का नाम वाके चक 10 एस डी ए के खाता सं0 19/13 से कलमजन कर वाके चक 6 एस डी के खाता सं0 51/54 में जोड़ा जावे । तथा वादी के नाम वाके चक 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 19/13 में 0.443 है0 भूमि का खातेदार कृषक एवं प्रतिवादी नं0 1 के नाम चक 6 एस डी के खाता सं0 51/54 में 0.124है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

———5 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:05:15 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । चक 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 19/13 के प0 नं0 414/400 मु0नं0 17 के किला नं0 2/0.190 हे0, 9/0.253 हे0 = 0.443 हे0 राजस्व रिकार्ड दर्ज है एवं प्रतिवादीगण के नाम चक 6 एस डी के खाता सं0 51/54 के पं0नं0 103/403 मु0नं0 36 के किला नं0 16/0.051 हे0 , 25/0.051 हे0 = 0.102 हे0 कमाण्ड एवं पं0 नं0 103/404 मु0नं0 46 के किला नं0 5/0.051 हे0 , 6/0.051 हे0, 15/0.051 हे0 , 16/0.050 हे0 = 0.203हे0 कुल तादादी 0.305 हे0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड का मिलान रकबे से अधिक होना के कारण खाता अपवादित होना स्पष्ट होता है। तथा प्रतिवादी नं0 6 गिरदावरी द्वारा अपने रकबें का बैयनांमा वादी को किया जाना तथा चक 6 एस डी में भी प्रतिवादी नं0 6 का नाम दर्ज है इसलिए मुताबिक चक 10 एस एल डी के खाता सं0 19/13 में 0.443 हे0 खातेदार भूमि में प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का नाम कलमजन कर वादी के नाम खातेदार कृषक एवं चक 6 एस डी के खाता सं0 51/54 में प्रतिवादी नं0 6 गिरदावरी पत्नी खिंवसिह का नाम कलमजन कर प्रतिवादी नं0 1 के नाम 0.124 हे0 रकबा खातेदार कृषक घोषित किया जाना हम उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा चक 10 एस एल डी के जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता सं0 19/13 पं0 नं0 114/400 के किला नं0 2/0.190 हे0 , 9/0.253 हे0 कुल तादादी 0.443 हे0 खातेदार भूमि में प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार कृषक घोषित एवं चक 6 एस डी के जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता सं0 51/54 में प्रतिवादी नं0 6 गिरदावरी पत्नी खिंवसिह का नाम कलमजन कर प्रतिवादी नं0 1 के नाम 0.124 हे0 रकबा खातेदार कृषक घोषित किया जाता है । इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा । डिक्री जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक ०७/१०/२०२० को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
(मनोज कुमार मीणा)
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)
(राजस्व) सूरतगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:05:15 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

1–सुमित कुमार सोमानी पुत्र श्री सत्यनारायण सोमानी जाति सोमानी साकिन वार्ड नं0 20 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 ––– वादी

बनाम

1–सुभाष पुत्र श्री महावीर जाति जाट साकिन 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ

2–शंकरदास पुत्र श्री हीरदास
3–पतरामदास पुत्र श्री हीरदास
4–राम गोपालदास पुत्र श्री तुलछीदास
5–सुखराम दास पुत्र श्री तुलछीदास
} अकवाम बैरागी साकिनान 10 एस डी ए जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

6–गिरदावरी पत्नी श्री खिंवसिह जाति जाट साकिन 10 एस डी ए तहसील सूरतगढ

7–राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ भू–धारक

––– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 146 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी राजाराम भादू , राजवीर भादू एवं प्रतिवादी नं0 1 का अभिभाषक अमित कुमार शर्मा व राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :

चक 10 एस एल डी ए के जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता सं0 19/13 पं0 नं0 114/400 के किला नं0 2/0.190 हे0 , 9/0.253 हे0 कुल तादादी 0.443 हे0 खातेदार भूमि में प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार कृषक घोषित एवं चक 6 एस डी के जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता सं0 51/54 में प्रतिवादी नं0 6 गिरदावरी पत्नी खिंवसिह का नाम कलमजन कर प्रतिवादी नं0 1 के नाम 0.124 हे0 रकबा खातेदार कृषक घोषित किया जाता है । इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×......खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ......×......फसदो की पालना......×........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07/10/2020 को जारी की गई ।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) सूरतगढ़ (श्री गंगानगर) न्यायालय

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:05:15 IST
Reason: SelfAttested